

आदेश

जैसा कि सरकार द्वारा चाहा गया है, श्री मौसम, वन दरोगा स्पेशल ड्यूटी, वन मण्डल अधिकारी, कैथल की उसके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ड्यूटी तुरंत प्रभाव से शहजादपुर ब्लॉक, अम्बाला वन मण्डल में लगाई जाती है, जिसका कर्मचारी को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त श्री अंकित दुहन, वन दरोगा को तुरंत प्रभाव से शहजादपुर ब्लॉक पर लगाई गई अतिरिक्त ड्यूटी से भारमुक्त किया जाता है।

दिनांक : 15.04.2026


के० सी० मीणा, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/ 90-98

दिनांक:- 16-04-2026

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. विशेष कार्यकारी अधिकारी/माननीय मुख्य मंत्री, हरियाणा को उनके कार्यालय के डिस्पैच नं० 14191 दिनांक 08.04.2026 के संदर्भ में।
2. वरिष्ठ सचिव/माननीय वन मन्त्री, हरियाणा।
3. वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल, अम्बाला।
4. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला/कैथल।
5. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, हरियाणा, पंचकूला।
6. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. श्री मौसम, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, कैथल।
8. श्री अंकित दुहन, वन दरोगा द्वारा वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला।


16/4/2026

अधीक्षक (प्रशासन),

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।